न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 98/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बस्तीराम पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी साडोकन तहसील व जिला नागौर।		1तहसीलदार, नागौर। 2बोदूराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी साडोकण तहसील व जिला नागौरं

उपस्थिति :–
1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री मुकेश रामावत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक:31.07.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 533/2017 सरकार बनाम बस्तीराम में निर्णय दिनांक 05.12.17 के तहत मौजा साडोकाण के खसरा नं. 195 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.12.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 21.12.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 533/17 सरकार बनाम बस्तीराम की पत्रावली की फोटोप्रति, ग्राम साडोकण की खतौनी संवत 2067–70 की फोटोप्रति तथा एक फोटोग्राफ पेश की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री मुकेश रामावत अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, सामान्य न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी पीठ पीछे पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट के पास उक्त कार्यवाही का नोटिस आया तो अपीलांट मूल नोटिस ही लेकर तहसील मे गया था व दिनांक 5.12.17 को उपस्थित होकर यह निवेदन किया कि उक्त नोटिस किस बात का है मुझे बताओ मैने क्या किया है, मै जवाब पेश करूंगा तब उन्होने बताया कि आप तो हस्ताक्षर कर दो आगामी पेशी पर जवाब पेश कर देना। अपीलांट उन पर भरोसा करते हुए हस्ताक्षर करके चला गया। लेकिन दिनांक 11.12.17 को पटवार हल्का मौके पर आया व उसने बताया कि आपके विरूद्व बेदखली की कार्यवाही हो चुकी है। आपने तहसील मे कब्जा करना स्वीकार किया है। इसलिये उक्त पक्का निर्माण व कब्जा तुरंत हटायेगे। तब अपीलांट ने पटवार हल्का से भी निवेदन किया मुझे किसी ने बताया नही कि क्या हो रहा है मुझे नोटिस क्यो दिया है मुझे तो तहसील कार्यालय मे यह कहा गया कि आगामी पेशी का बाद मे पता कर लेना तब अपीलांट तुरंत तहसील कार्यालय मे जाकर संपूर्ण जाकर संपूर्ण पत्रावली की नकले मागी जो दिनांक 12.12.17 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई कि अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये गये थे उसमे मनमर्जी से आदेशिका मे कब्जा करना स्वीकार करना, लिखते हुए उसी दिन अपीलांट को कोई जवाब साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही बेदखली, जुर्माना के आदेश पारित कर दिये, जो विधिक प्रक्रिया अपना कर आदेश पारित किया हुआ नही होने से व निरकुंश आदेश होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–अपीलांट का हाल खसरा नं. 195 मौजा गगवाना के 5 बिस्वा गै.मु. गोचर पर न तो पूर्व मे कब्जा था न आज दिन कब्जा है। उक्त जायगा अपीलांट के पिता बोदूराम पुत्र गोरधन की कब्जासुद स्वामित्व की आवंटनसुदा रही है जिसमे रेस्पो. सं. 2 बोदूराम द्वारा पुराने समय से मकान, बाडा बनवा रखा है जो खसरा नं. 195 मे न होकर बोदूराम के खातेदारी के खेत खसरा नं. 195/794 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. बाडा मे बने हुए है जिसकी पटवारी हल्का ने बिना कोई जाचं किये व खसरा नं. 195 का नाप चोप किये बिना अपीलांट को उक्त खसरा पर अतिक्रमी बताकर पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की है वह विधि विरूद्व है तथा छपे छपाये प्रिन्टेड फार्म पर रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। पटवारी हल्का गगवाना ने कौन से तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट पेश की है। इसका कोई हवाला नही है। मात्र तहसीलदार लिखा है जिससे भी स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने मात्र खानापूर्ति की है विधिवत न तो मौके पर आकर कोई जांच की है न ही विधिअनुसार रिपोर्ट पेश हुई है इसके बावजूद तहसीलदार ने इसको नजर अंदाज करते हुए निर्णय जैर अपील अपीलांट के विरूद्व पारित करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है।

{2}(V)–जिस मकान निर्माण, बाडा आदि से बेदखली का जो निर्णय पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तहसीलदार ने पारित किया है उक्त जायगा निर्माण अपीलांट का न होकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 की कब्जासुद स्वामित्वसुदा खातेदारी की भूमि मे रेस्पो. सं. 2 द्वारा लाखो रू. खर्च करके बनवाये हुए है तथा वास्तविक खातेदार काबिज स्वामी को सुने बिना यदि विधि विरूद्व निर्णय की आड मे उक्त मकान, निर्माण को ध्वस्त कर दिया तो अपीलांट जो कि अपने पिता के साथ उक्त मकान मे निवास करता है उसे अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के मुआवजा से करना संभव नही होगा। ऐसा आदेश वास्तविक मालिक काबिज रेस्पो. सं. 2 के हक अधिकारो के प्रति बातिल व बेअसर है मगर पटवारी हल्का उक्त आदेश की आड मे बेदखली की धमकिया दे रहे है इसलिये अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यदि राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करते, मौके पर आकर अपने स्तर पर मौका जांच करते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर उन्होने अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना, अपीलांट व वास्तविक खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, साक्ष्य सबूत लिये बिना गैर कानूनी ढंग से मिथ्या आदेशिका दर्ज कर अपीलांट की अनुपस्थिति मे आदेश जैर अपील पारित किया है। जो विधि सम्मत नही है। अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा साडोकण में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके साडोकण के खसरा नंबर 195 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलेक्टर, नागौर